उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-15/2017/वे0आ0-2-761/दस-2017-01 (एम)/2016

लखनऊः दिनांकः 18 अगस्त, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये वेतन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-39/2016/वे0आ0-2- 980/दस-01(एम)/2016 दिनांक 11 अगस्त, 2016 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अध्यक्ष वेतन समिति के सृजित अस्थायी पद पर सुश्री वृन्दा सरूप, सेवा निवृत्त आई0ए0एस0 को वेतन समिति का कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- सुश्री वृन्दा सरूप की अध्यक्ष वेतन समिति के पद पर कार्य करने की अवधि में उनकी प्रास्थिति (स्टेटस), अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के समकक्ष होगी।

3- सुश्री वृन्दा सरूप को अध्यक्ष वेतन समिति के रूप में कार्यरत रहने की अवधि में निम्नलिखित सुविधायें अनुमन्य होंगीः--

(1) सुश्री वृन्दा सरूप को वेतन समिति के अध्यक्ष के रूप में समिति की बैठकों के लिये रू0 8000 (रू0 आठ हजार मात्र) प्रतिदिन की दर से मानदेय अनुमन्य होगा।

(2) सुश्री वृन्दा सरूप को वेतन समिति के कार्यों हेतु राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा सरकारी वाहन (वाहन चालक एवं पेट्रोल सहित) उपलब्ध कराया जायेगा। वेतन समिति के कार्यों हेतु सरकारी वाहन के स्थान पर निजी वाहन का प्रयोग करने का अध्यक्ष द्वारा विकल्प दिये जाने पर उसकी प्रतिपूर्ति हेतु रू0 20000 (रू0 बीस हजार मात्र) प्रतिमाह का भुगतान किया जायेगा।

(3) सुश्री वृन्दा सरूप द्वारा वेतन समिति के कार्यों हेतु की गयी यात्राओं (जिसके अन्तर्गत वेतन समिति में कार्यभार ग्रहण करने के लिये की गयी यात्रा या वेतन समिति में उनकी कार्यावधि की समाप्ति पर अपने गृह नगर को की गयी यात्रा भी सम्मिलित हैं) के लिये उन्हीं मापक्रमों और उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा, जैसा अध्यक्ष राजस्व परिषद को अनुमन्य है।

(4) सुश्री वृन्दा सरूप के अध्यक्ष, वेतन समिति के पद पर कार्यरत रहने की अवधि में उसी भॉति चिकित्सा प्रतिपूर्ति देय होगी जैसा कि चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश दिनांक 19 सितम्बर 2014 के अनुसार अध्यक्ष राजस्व परिषद को अनुमन्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) सुश्री वृन्दा सरूप को वेतन समिति के कार्यों हेतु की गयी दिल्ली यात्रा के दौरान निःशुल्क वाहन एवं ठहरने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) सुश्री वृन्दा सरूप को लैपटाप तथा समिति के कार्यालय एवं आवास पर टेलीफोन, (एस0टी0डी0 सुविधा सहित) तथा मोबाइल फोन (रोमिंग सुविधा सहित) भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) सुश्री वृन्दा सरूप को एक निजी सचिव, एक अपर निजी सचिव तथा तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे।

(8) सुश्री वृन्दा सरूप अध्यक्ष, वेतन समिति को सचिवालय स्तर पर एक कार्यालय उपलब्ध कराया जायेगा।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-65-लेखाशीर्षक-''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें- आयोजनेत्तर-105-विशेष जॉच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियॉ- 0301-वेतन समिति का गठन'' के अधीन संगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-15/2017/वे0आ0-2-761(1)/दस-2017-01(एम)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. अध्यक्ष, वेतन समिति, उ0प्र0।
3. सदस्य सचिव, वेतन समिति, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।
5. प्रमुख सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।
6. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2/3।
7. नियुक्ति अनुभाग-1
8. इरला चेक अनुभाग।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त (सेवायें) अनुभाग-1/4
11. लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष, वेतन समिति।

आज्ञा से,
शिव गोपाल सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in